

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा (टोंक)

पीठासीन अधिकारी सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस.

क्रमांक पत्र संख्या : 252/2020

दिनांक 27/10/20

उनवान

पटवारी कुण्डेर बनाम तहसीलदार, उनियारा

:- आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर के अतिरिक्त क्रमांक प.3)राज'6/पार्ट/04/दिनांक 10.08.2016 के अनुसार रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के तहत मौके पर चालू रास्तो का राजस्व अभिलेखों में अंकन करने हेतु तहसीलदार, उनियारा द्वारा ग्राम कुण्डेर पटवार मण्डल कुण्डेर के आराजी खसरा नम्बर 1880 व 1940 में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86-सजस्थान भू अभिलेख नियम, 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, अनापत्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत कुण्डेर, पर्चा मौका पटवारी कुण्डेर, सरपंच एवं ग्रामविकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुण्डेर, गुगल नक्शे की वर्तमान प्रिन्ट एवं अभिशंषा तहसीलदार, उनियारा प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, उनियारा से प्राप्त सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया जिसके अनुसार तहसील उनियारा के ग्राम कुण्डेर पटवार मण्डल कुण्डेर के खसरा नम्बर 1880 में 0.74 है 0 में से 0.44 है 0 व खसरा नम्बर 1940 में 0.25 है 0 में से 0.04 है 0 कुल रकबा 0.48 है 0 हेक्टर पर मौके पर काफी समय पुराना चालू रास्ता है किन्तु राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का तथा ग्राम विकास अधिकारी ने अपने मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया है साथ ही तहसीलदार उनियारा ने भी उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, उनियारा को आदेश कि जाते है कि उक्त भूमि ग्राम कुण्डेर पटवार मण्डल कुण्डेर के खसरा नम्बर 1880 में 0.74 है 0 में से 0.44 है 0 व खसरा नम्बर 1940 में 0.25 है 0 में से 0.04 है 0 कुल रकबा 0.48 है 0 हेक्टर पर किसी प्रकार का विवाद होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर भूमि की किस्म राजस्व अभिलेखों में गोमगो रास दर्ज कर अमल दरामद करे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 27, 10, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उनियारा (टोंक)